# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 75/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. मु0 सुवा देवी बेवाह गुलाब
2. विजय सिंह
3. नेत्रपाल
4. संतराज पुत्रान गुलाब सभी वारिसान गुलाब पुत्र लीलाराम जाट (मृतक)
5. घडसीराम पुत्र लीलाराम जाति जाट

सभी जाति जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुंडावर

:––– अपीलांटस/ वादीगण

वनाम

1. रामचन्द्र दत्तक पुत्र किशन सहाय
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र मक्खनलाल (मृतक)

2/1. ब्रहमप्रकाश
2/2. सतीश
2/3. अशोक पुत्रान स्व0 लक्ष्मीनारायण

3. रामेश्वर पुत्र मक्खन जाति सभी जाट निवासीयान ग्राम जाट– बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:––– असल रेस्पो0/ प्रतिवादीगण

4. रामसिंह
5. अमरसिंह पुत्रान लालाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:––– तरतीबी रेस्पो0/ प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
दिनांक 1.10.2001

---

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांटस :– सर्व श्री विजय कुमार, रामप्रसाद सेवल
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री विजयसिंह राठौड

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 10.6.16

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा दावा संख्या 1066/97 उनवान गुलाब बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2001 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा असल रेसपो0/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 148 तथा आदेश 6 नियम 18 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस है कि अपीलांटस/वादीगण ने तहत न्यायालय एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट पेश किया था । दौराने विचारण वाद असल रेसपो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 148 व आदेश 6 नियम 18 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि दिनांक 14.10.2000 को वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल दिनांक 17.10.2000 को पेश करने के आदेश दिये गये थे, किन्तु वादी ने उक्त आदेश की पालना दिनांक 17.10.2000 को नहीं की है, बल्कि दिनांक 31.10.2000 को एक प्रार्थना पत्र संशोधित टाईटल के आधार पर वादी ने पेश किया, जिसमें प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं है, ना ही दावा टाईटल दर्ज किया है । वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में नीचे इबारत लिखी है कि अतः संशोधित टाईटल पेश कर निवेदन है कि मृतक गुलाब की जगह उक्त वारिसान का नाम वाद में लिखा जावे । वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में मृतक गुलाब सिंह के वारिसान का नाम दावे में लिखे जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है । यह प्रार्थना पत्र संशोधित टाईटल की परिभाषा में नहीं आता है । दावा का उनवान नहीं लिखा गया है । इस्तदुआ गलत है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जिसकी अपीलांटस/अप्रार्थीगण ने यह अपील पेश की है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांटस /अप्रार्थीगण ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में वकील साहब की सलाह पर की गई, जो दिनांक 11.5.11 को श्रवण योग्य नहीं होने के कारण खारिज करते हुये यह निर्देश दिये गये कि प्रकरण में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय की राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील की जावे । तत्पश्चात अलवर आकर वकील साहब से कानूनी सलाह मशविरा करके एवं पैसों का इन्तजाम करके यह अपील दिनांक 18.7.2011 को पेश कर दी । वकील की गलती की सजा पीडित पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिये । वकील की गलत सलाह के कारण माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश कर दी गई थी, इस कारण अदालत हाजा में अपील पेश करने में देरी हुई है । अतः देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 के तहत नहीं था, बल्कि आदेश 22 नियम 3 के तहत था । अपीलांटस ने सही समय पर मृतक गुलाब के वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिये प्रार्थना पत्र दे दिया था, परन्तु वकील साहब ने दिनांक 17.10.2000 को पेश नही करके दिनांक 31.10.2000 को पेश किया था । अगर देरी हो गई थी तो खर्चा पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 स्वीकार कर सकते थे, वाद को खारिज नहीं करना चाहिये था । अपीलांटस द्वारा पेश संशोधित वाद शीर्षक अगर कानूनी प्रकिया के अनुरूप नहीं था तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

तहत न्यायालय स्वविवेक से दूसरा संशोधित वाद शीर्षक प्राप्त कर सकता था । विकल्प में अपीलांटस पर उचित कोस्ट लगा सकता था । वाद शीर्षक में सभी पक्षकारान के नाम अंकित किये गये थे । अगर इसके विपरीत रेस्पो0 को नाबालिग होने सम्बन्धी कोई आशंका थी तो वे इस बाबत सबूत तहत न्यायालय में प्रस्तुत करते । आयु दर्ज नहीं करना कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । अगर संशोधित शीर्षक बनाने एवं प्रस्तुत करने में किसी बात की कमी रह जाती है तो वह वकील की गलती मानी जावेगी तथा वकील की गलती की सजा पीडित पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिये । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0/प्रार्थीगण का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है, इसलिये मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश फाईनल डिकी की संज्ञा में नहीं आता है, इसलिये यह अपील चलने योग्य नहीं है । डिफाल्ट में खारिज हुये दावे को आदेश 9 नियम 4 सी0 पी0 सी0 मे रेस्टोर कराना चाहिये था, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 2007 आर0 आर0 डी0 17 (डी0 बी0) में अभिनिर्धारित किया गया है । अपीलांटस/अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की थी अर्थात सही समय पर संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया था, बल्कि उसके स्थान पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0 पी0 सी0 पेश कर दिया और उसमें भी कई कानूनी खामी रही है । तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया एवं विद्वान वकील असल रेस्पो0 द्वारा पेश किया गया न्यायिक दृष्टांत 2007 आर0 आर0 डी0 पेज 17 (डी0 बी0) का भी अध्ययन किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । अपीलांटस अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी पेश की थी, जो दिनांक 11.5.11 को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की थी । इसके पश्चात कानूनी सलाह मशविरा करके दिनांक 18.7.2011 को यह अपील प्रस्तुत कर दी थी । माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी करने की वजह से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस/वादीगण द्वारा समय पर संशोधित शीर्षक पेश नहीं करने के कारण दावा खारिज किया है,जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की डबल बैंच द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2007 आर0 आर0 डी0 17 पेश करते हुये बताया है कि दावा में अंतिम रूप से डिकी पारित नहीं हुई है, दावा डिफाल्ट में खारिज हुआ है, इसलिये इसकी अपील न होकर तहत न्यायालय में रेस्टोर होना चाहिये । इस न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन करने पाया गया कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की डबल बैंच ने इस दृष्टांत के पैरा नम्बर 09 में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश फाईनल एडज्यूरिडेकशन नहीं माना जा सकता, बल्कि इस प्रकार डिफाल्ट में खारिज दावे को रेस्टोर ऑर्डर 09 रूल 04 सी0 पी0 सी0 के तहत करवाया जाना चाहिये । इसी प्रकार पैरा नम्बर 10 में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित की गई डिकी में जो Contents होने चाहिये,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

वह इस आदेश में नहीं है, अतः इसे फाईनल डिक्री नहीं माना जा सकता, इसलिए अपीलार्थीगण की अपील पोषणीय नहीं है, अपितु उन्हें ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत रेस्टोरेशन की कार्यवाही करनी चाहिये थी । इसके विपरीत मौजूदा प्रकरण में अपीलान्टस ने माननीय राजस्व मण्डल मे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की थी जिसके निर्णय दिनांक 11.5.11 में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हुये राजस्व अपील अधिकारी के यहा अपील पेश करने के निर्देश दिये थे । चूंकि असल रेस्पो0 द्वारा जो न्यायिक दृष्टात 2007 आर0 आर0 डी0 पेज 17 पेश किया है, वह डबल बैंच द्वारा पारित किया गया है तथा उस न्यायिक दृष्टात के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों से मेल खाते हैं । अतः माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की डबल बैंच द्वारा पारित किये गये न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है । अपीलांटस तहत न्यायालय में रेस्टोरेशन की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

12/6/16

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner